

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अर्न्तगत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंव किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई-2.180 किमी0।

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो0नि0वि0 (टी0एस0पी0) के अर्न्तगत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम-देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंव किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी0 पी0एस0सी0 गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई-2.180 किमी0।			
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।			
	ग) परियोजना की लागत।				
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया गया। तकनीकी दृष्टि से अन्य स्थानों पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।			
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है।			
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा एंव उनके द्वारा उत्पादित फल एंव सब्जी को बाजार तक जाने में सुविधा होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होगा।			
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	वन पंचायत वन भूमि	सिविल एवं सोयम वन भूमि	आरक्षित वन भूमि	कुल भूमि (है0मे)
		0.000 है0	0.000 है0	0.980 है0	0.980 है0
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई ले	कोई नहीं			
	क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं			
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं			
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।			

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाणपत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	अनुक्रमण तालिका में संलग्न हैं।

दिनांक...23.11.21...
स्थान...रा.रा.रा...

(प्रयोक्ता ऐजेसी के हस्ताक्षर)

नाम...
मोहर...
अधिशारी अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो०नि०वि० खटीमा
(उधम सिंह नगर)

अमीन
नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा
(उधम सिंह नगर)

अपर सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा
(उधम सिंह नगर)

सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०, खटीमा
(उधम सिंह नगर)